तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम मानासिंह बनाम कजोड़ 88, 188 RTA व 136 LA Act	नंबर व ता... अहकाम व... हुक्म की ता... में जारी हुआ
16-4-21	मुकदमा नं0 99/18 निर्णय दि0 16/4/21 पत्रावली निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष की बहस व वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण मानासिंह वगैरह ने ग्राम गिरधारपुरा के खाता सं. 33 के ख.नं. 242 की .12 है. भूमि की खातेदारी घोषणा, दि. 23.11.92 के सहमति बंटवारे में मौका नक्शा में भरे रंग व कब्जा काश्त के आधार पर, चाही है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में प्रति.सं. 1 के नाम दर्ज है व वर्तमान विवादित ख.नं. 242 के साबिक ख.नं. 50/3/2 रहे हैं। वादीगण ने वाद के साथ 23.11.92 के सहमति बंटवारे के आवेदन पत्र, विभाजन आदेश व नक्शा ट्रेस पेश किये हैं। प्रति. सं. 1 कजोड़ ने 16.9.19 को जवाबदावा पेश कर प्रश्नगत भूमि सहमति विभाजन कब्जा उसे प्राप्त होने तथा विभाजन व वर्तमान नक्शा में एकरूपता के आधार पर वाद निरस्त करने का कथन किया है। इस वाद के साथ प्रति. सं. 1 कजोड़ के स्थायी निषेधाज्ञा वाद को सम्बद्धता करते हुये दि. 27.11.19 को विरचित तनकी को 18.9.20 को संशोधित कर, स्थायी निषेधाज्ञा (प्रति सं. 1) के अनुतोष का जिसमे प्रतिवादी, विरचित किया गया। multiplicity of suits के कारण जवाब स्टेट लिया गया जो 1.2.21 को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अपनी साक्ष्य में चार शपथ पत्र पेश करते हुये 1992 के विभाजन के समय नक्शा ट्रेस को वादी के पक्ष में होने का कथन करते हुये, वाद के तथ्यों का समर्थन किया। प्रतिवादी पक्ष ने अपनी साक्ष्य में तीन शपथ पत्र पेश कर राजस्व रिकार्ड व वर्तमान नक्शा अनुसार मौका स्थिति का कथन करते हुये वाद खारिज करने का आग्रह किया है। वाद का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:— तनकी सं. 1→ आया साबिक ख.नं. 50/3/2 (हाल ख.नं. 242) के विभाजन के नक्शे के आधार पर, वर्तमान नक्शे में तरमीम नहीं किये जाने के कारण, वर्तमान नक्शे की तरमीम को निरस्त करवाने के वादीगण अधिकारी है।—	

वादीगण ने अपने समर्थन में ... साथ के नक्शे को पेश किया व शपथ पत्र ... जवाब स्टेट अनुसार वादीगण ... 242 ... कब्जा है।
सहमति विभाजन आवेदन व तहसीलदार ... ख.नं. 50/3/2 (10 बिस्वा) प्रतिवादी ... 1 को दिया ... है उसी अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकार्ड व वर्तमान नक्शे में दर्ज है तथा वादीगण का ख.नं. 242 के पूरे हिस्से पर कब्जा काश्त भी नहीं है अतः मात्र एक नक्शा ट्रेस (सहमति विभाजन के समय के) के आधार पर ~~प्रति सं.~~ राजस्व रिकार्ड व वर्तमान नक्शा से उचित नहीं है। अतः यह तनकी ट्रेस को वजह जाना ... विरुद्ध वादीगण निर्णित ... जाता है।

(रणजीतसिंह)

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

मानसिंह वगैरह सस्करा बनाम कजोड़

किस्म मुकदमा 88, 188 RTA 136 LR Act मु० नं० 99/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी सं. 2→ आया वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जे शुदा भूमि ख.नं. 242 की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।— वादीगण जवाब स्टेट अनुसार वादीगण का ख.नं. 242 के सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है। तनकी सं. 3→ आया ख.नं. 242 पर वादीगण की दुकाने व आफिस बने हुये होने के कारण प्रतिवादीगण को व्यवधान उत्पन्न नहीं करने, रहन बिय नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं — वादीगण वादीगण विवादित ख.नं. 242 के खातेदार नहीं है। रिकार्डेड खातेदार ही स्थायी निषेधाज्ञा वाद लाने हेतु अधिकृत हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है। तनकी सं. 4→ आया ख.नं. 242 प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि होने के कारण वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के प्रतिवादीगण अधिकारी हैं — प्रतिवादीगण प्रतिवादी ख.नं. 242 का रिकार्डेड खातेदार है, तथा जवाब स्टेट अनुसार ख.नं. 242 के सम्पूर्ण हिस्से पर कब्जा नहीं है। अतः प्रतिवादी कजोड़ खातेदारी के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष का अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। **आदेश** वाद वादीगण, 88 RTA व 136 LR Act की धारा के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण [illegible] तथा प्रतिवादीगण की स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] स्वीकार करते हुये, वादीगण को, ग्राम गिरधरपुरा [illegible] खाता सं. 313 के ख.नं. 242 में दखलंदाजी नहीं करने बाबत पाबंद किया जाता है।	

आदेश अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

(रणजीत सिंह)
16-4-21

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2022.03.24 16:46:44 IST
Reason: SelfAttested